न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र 3जी (5) संख्याः 16/2015

दायर दिनांकः 19.11.2015

आदेश दिनांक 18.02.2021

—:अनवान:—

श्रीमति गुलाबी देवी पत्नि श्री सत्यनारायण पालीवाल आयु 45 वर्ष निवासी अरिहन्त नगर जावद, तहसील व जिला राजसमन्द

प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (नेशनल हाईवे आथरिटी ऑफ इण्डिया) सडक परिवहन मुधवन, उदयपुर जिला उदयपुर(राज0)

विपक्षीगण

याचिका बाबत मध्यस्थता अन्तर्गत धारा 3 जी (5) दी नेशनल हाईवेज अमेण्डमेन्ट एक्ट 1997

उपस्थितः—

1— श्री सम्पत लढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थी

2— श्री गिरिश तिवारी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01

3— श्री अनुराग शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी की ओर से उक्त मध्यस्थता अन्तर्गत धारा 3 जी (5) दी नेशनल हाईवेज अमेण्डमेन्ट एक्ट 1997 के तहत सक्षम अधिकारी, भू अवाप्ति अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी की ग्राम जावद तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित खसरा संख्या 969, 991, 971/2 भूमि अवाप्त की जा रही है। प्रार्थी को वास्तविक/वाजिब क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण कर मध्यस्थता अवार्ड जारी करें। इस हेतु यह याचिका प्रस्तुत की गयी।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विपक्षीगण के द्वारा दिनांक 21.10.2013 को सार्वजनिक सूचना द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे जिसकी सूचना दिनांक 29.10.2013 को समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी थी इसके बावजूद भी प्रार्थी ने सप्रमाण निर्धारित 21 दिवस में कोई क्लेम पेश नहीं कर अपनी व्यक्तिगत एवं दस्तावेजी साक्ष्य को साबित नहीं करवाया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी द्वारा जवाब हेतु कोई विधिक आधार उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। जबकि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मे इस बात का भी अंकन नही किया गया है कि उक्त प्रार्थना पत्र किस अधिनियम एवं धारा के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। और कोई कानूनन ऐसा कोई विधिक आधार भी पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि से परे होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि विपक्षी द्वारा प्रार्थी की उक्त आराजी नम्बर 969, 991, 971/2 भूमि अवाप्त की कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी को वास्तविक/वाजिब क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण कर मध्यस्थता अवार्ड जारी करने हेतु निवेदन किया है। जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध मे विपक्षीगण के द्वारा दिनांक 21.10.2013 को सार्वजनिक सूचना द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे जिसकी सूचना दिनांक 29.10.2013 को समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी थी इसके बावजूद भी प्रार्थी ने सप्रमाण निर्धारित 21 दिवस में कोई क्लेम पेश नहीं कर अपनी व्यक्तिगत एवं दस्तावेजी साक्ष्य को साबित नहीं करवाया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी द्वारा जवाब हेतु कोई विधिक आधार उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। जबकि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मे इस बात का भी अंकन नही किया गया है कि उक्त प्रार्थना पत्र किस अधिनियम एवं धारा के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। और कोई कानूनन ऐसा कोई विधिक आधार भी पेश नहीं किया गया है।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भी अवलोकन किया तथा अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी को उक्त आराजी नम्बर 969, 991, 971/2 भूमि के संबंध में भूमि अवाप्ति संबंधी कार्यवाही विपक्षीगण के द्वारा नहीं किये जाने से प्रकरण कों सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रार्थी की अवाप्त आराजी नम्बर 969, 991, 971/2 भूमि के संबंध में प्रार्थी को साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार अवार्ड जारी कर तय मुआवजा राशि का भुगतान करें।

::आदेशः

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को रिमाण्ड किया जाता है कि प्रार्थी की अवाप्त आराजी नम्बर 969, 991, 971/2 भूमि के संबंध में प्रार्थी को साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार अवार्ड जारी कर तय मुआवजा राशि का भुगतान करें।

आदेश की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी अधिकारी भू अवाप्ति/अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांकः 18.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)